राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
वाद संख्या–30 / 2023
विजय चौधरी बनाम् मनोज कुमार उर्फ मनोज चौधरी।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–27.08.2024, दिनांक–08.10.2024, दिनांक–19.11.2024 तथा दिनांक–04.09.2025 को हुई, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार तिवारी उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की तरफ से अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु श्री रविकांत सिन्हा एवं श्री उपेन्द्र सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास प्राधिकृत किये गये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता, श्री संजय कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी श्री मनोज कुमार उर्फ मनोज चौधरी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में अपने अपराधिक मुकदमें को छिपा लिया गया। वर्तमान में श्री मनोज कुमार उर्फ मनोज चौधरी, पंचायत समिति सदस्य है, जो रोहतास जिला के संझौली प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत संझौली, पंचायत समिति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–01 से निर्वाचित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके विरूद्ध संझौली थाना अन्तर्गत आपराधिक मुकदमा संख्या–05 / 2020, दिनांक–03.02.2020 दर्ज है, जो कि भारतीय दंड संहिता के धारा–341, 323, 337, 308, 379, 504 तथा 506 के तहत दर्ज है। **माननीय अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास** के न्यायालय द्वारा दिनांक–18.06.2020 को संज्ञान लिया गया है। प्रतिवादी उक्त वाद में एक प्रमुख अभियुक्त है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा F.I.R. तथा **माननीय अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास** के आदेश दिनांकः–20.06.2020 का अवलोकन कराया गया, जिसमें कुल 05(पाँच) अभियुक्तों के विरूद्ध **माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है,** जिसमें **प्रतिवादी श्री मनोज कुमार उर्फ मनोज चौधरी का नाम अभियुक्त संख्या–03 के रूप में दर्ज है।**

आगे उनके द्वारा प्रतिवादी के नामांकन–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उनके द्वारा अनुसूची–III(क) के कंडिका–02 में शून्य अंकित किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया है कि कंडिका–02 में प्रत्येक अभ्यर्थी को ऐसे मामले को अंकित करना है, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया हो तथा जिसमें छः या छः माह से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान हो। प्रतिवादी के विरूद्ध जिन धाराओं में मामले दर्ज हैं, उनमें छः माह से अधिक के कारावास की सजा का प्रावधान है। अतः स्पष्ट है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–125(क) के तहत उन्हें अनिवार्य रूप से लंबित उक्त वादों का विवरण नामांकन–पत्र में अंकित करना था, परन्तु उनके द्वारा गलत शपथ–पत्र का सहारा लिया गया तथा नामांकन–पत्र में अपने विरूद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूचना आम मतदाताओं से छिपा लिया गया। अंत में उनके द्वारा प्रतिवादी श्री मनोज

कुमार उर्फ मनोज चौधरी के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–125(क) के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) के तहत यह मामला अयोग्यता से संबंधित नहीं है। अतः इस प्रकार के मामलों में जहाँ बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–125(क) के उल्लंघन का मामला विचाराधीन हो वहाँ सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण उनके द्वारा कोई लिखित जवाब दायर नहीं किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा दिये गये साक्ष्य Judicial Pronouncement है, जिसपर उनका कोई Denial नहीं है। अंत में उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह धारा–125(क) के अंतर्गत आने वाला मामला है। अतः आयोग को इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

प्राधिकृत पदाधिकारी श्री उपेन्द्र सिंह द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का दावा सत्य है। जिला के अभिलेखों में भी यह पाया गया है कि प्रतिवादी श्री मनोज कुमार उर्फ मनोज चौधरी के विरूद्ध दिनांक–03.02.2020 को भूमि विवाद को लेकर मार–पीट की घटना संझौली थाना काण्ड संख्या–05/2020 दर्ज है। उक्त थाना काण्ड में A.C.J.M. बिक्रमगंज द्वारा U/S 341, 323, 337, 504, 506/34 IPC के तहत संज्ञान लिया गया है। उक्त वाद ST-267/24 अपर जिला न्यायाधीश–viii, व्यवहार न्यायालय, सासाराम के समक्ष विचाराधीन है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उस आशय का प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) के माध्यम से पत्रांक–817/पं0, दिनांक–27.03.2025 आयोग को समर्पित है।

**आयोग द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के तर्कों तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ–साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) के प्रतिवेदन का सूक्ष्मावलोकन किया गया तथा इसका परीक्षण बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा–125(क) के प्रावधानों के आलोक में किया गया, तो यह पाया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आपराधिक मुकदमों की सम्पूर्ण सूचना नामांकन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची–III(क) में अंकित करना अनिवार्य है। इस संबंध में उक्त अधिनियम की धारा–125(क)(1)(ii) के प्रावधान बिल्कुल ही स्पष्ट है, जो निम्नवत् है:–**

**"इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत परिदत्त अपने नाम–निर्देश पत्रों के साथ अभ्यर्थी किसी सूचना से भिन्न, जिसे प्रस्तुत करने के लिए वह अपेक्षित है, अपने अभ्यर्थिता के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं से संबंधित सूचना भी शपथ पर प्रस्तुत करेगा:–**

**(i).....**

**(ii) क्या प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के छः माह पूर्व जिसमें छः महीने से अधिक के कारावास का दण्ड दिया जा सकें, के लंबित प्रकरण में आरोपित है और उसमें आरोप तैयार**

कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, यदि ऐसा हो तो उसका विवरण।''

विचाराधीन वाद में वादी द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराये गये है, जिसका सत्यापन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) द्वारा भी किया गया है, से प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी श्री मनोज कुमार उर्फ मनोज चौधरी के विरूद्ध नामांकन दाखिल करने से पूर्व संझौली थाना काण्ड संख्या–05/2020, दिनांक–03.02.2020 को दर्ज किया गया था, जिसके आलोक में A.C.J.M.-I बिक्रमगंज, रोहतास द्वारा दिनांक–18.06.2020 को संज्ञान लिया गया था। अतः बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा–125(क) के प्रावधानों के अधीन प्रतिवादी श्री मनोज कुमार उर्फ मनोज चौधरी द्वारा नामांकन–पत्र में उक्त थाना काण्ड एवं इससे उद्भूत वाद का सम्पूर्ण विवरण उनके द्वारा अंकित किया जाना अनिवार्य था, परन्तु उनके द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, मिथ्या शपथ–पत्र दायर किया गया, जो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा–125(क)(3) के तहत दण्डनीय है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि आयोग में 125(A) के तहत प्राप्त परिवाद/वाद पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई परिवाद/वाद प्राप्त होने पर उसे अवसर दिये बिना एक पक्षीय सुनवाई या कार्रवाई करने पर नैसर्गिक–न्याय के नियम (Principal of Natural Justice) का उल्लंघन होता है। यहाँ तक की आयोग के समक्ष ऐसे मामले जो आयोग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते है, प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु आयोग द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है।

आयोग अपने न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में सदैव सतर्क रहता है तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) के प्रावधानों तथा रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करता है। यही कारण है कि ऐसे मामले जो 125(A) के उल्लंघन से संबंधित रहते है, के शास्ति का निर्धारण आयोग द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि शास्ति के निर्धारण की शक्ति संबंधित क्षेत्र के संवैधानिक/वैधानिक न्यायालयों में निहित है। अतः प्रतिवादी का तर्क उक्त आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है कि आयोग द्वारा 125(A) के तहत मामलो की सुनवाई नहीं किया जाना चाहिए।

उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के विरूद्ध संझौली थाना काण्ड संख्या–05/2020 में सक्षम न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास द्वारा I.P.C. की U/S 341, 323, 337, 504, 506/34 IPC के तहत संज्ञान लिया गया है। जिसका उल्लेख प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि यह बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–125–क(1)(ii) का उल्लंघन है। अतएव जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास

को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी श्री मनोज कुमार उर्फ मनोज चौधरी, पंचायत समिति सदस्य, संझौली, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–01, प्रखण्ड–संझौली, जिला–रोहतास के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा–125(क)(3)(ग) के तहत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
18.11.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
18.11.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–30/2023 4333 पटना, दिनांक– 18.11.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **रोहतास**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **रोहतास** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **रोहतास** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

18/11/25
विशेष कार्य पदाधिकारी